उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-32/2025/201/23-3-2025-1880987

लखनऊ, दिनांक: 10 फरवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल, कैलेण्डर वर्ष, 2025 में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख अभियन्ता (सिविल), मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सिविल), मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सिविल), अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथियों से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	2	3		5
प्रमुख अभियंता				
1.	संजय प्रताप सिंह	राजेन्द्र सिंह	26.01.1965	31.01.2025
2.	श्रीराज	ए0सी0 श्रीवास्तव	16.05.1965	31.05.2025
मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल)				
3.	योगेन्द्र सिंह	मलिक सिंह	31.01.1965	31.01.2025
4.	सदन लाल गुप्ता	रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता	20.01.1965	31.01.2025
5.	सुरेन्द्र सिंह	शेर सिंह	11.01.1965	31.01.2025
6.	रमा शंकर यादव	लट्टूर यादव	02.02.1965	28.02.2025
7.	अवधेश कुमार सिंह	प्रभुनन्दन सिंह	08.04.1965	30.04.2025
8.	अभिनेश कुमार	रामदत्त	22.12.1965	31.12.2025
अधीक्षण अभियंता (सिविल)				
9.	राजेन्द्र सिंह	सुमरू दास	06.01.1965	31.01.2025
10.	मुन्नी लाल वर्मा	बद्री प्रसाद	12.01.1965	31.01.2025
11.	राम आसरे दोहरे	दुद्धा प्रसाद	04.07.1965	31.07.2025
12.	गोपाल कृष्ण	पूरनमासी राम	17.08.1965	31.08.2025
13.	सत्यवीर	जय वीर सिंह	09.11.1965	30.11.2025
14.	योगेश कुमार जयन्त	चन्द्रभान जयन्त	01.01.1966	31.12.2025
अधीक्षण अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)				
15.	धर्म देव सिंह	राम लोचन सिंह	30.04.1965	30.04.2025

2- तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित श्री एस0पी0 सिंह, प्रमुख अभियंता, क्रमांक-3, 4 व 5 पर अंकित क्रमश: श्री योगेन्द्र सिंह, सदन लाल गुप्ता एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) तथा क्रमांक-9 व 10 पर अंकित क्रमश: श्री राजेन्द्र सिंह एवं मुन्नी लाल वर्मा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) दिनांक: 31.01.2025 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश सिविल सर्विसेज रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद-906(I), 912(ई) एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-642/दस-93, दिनांक 24.04.1993 में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महोलखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/उ0प्र0 सेतु निगम लि0 लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. गाई फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।